



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर - 452 001

पृ.पत्र क्र. प्रशा./ म.प.पत्र./2022/838

दिनांक 20.09.2022

“ अतिआवश्यक ”

विषय :-मतदाता पहचान पत्र (Elector's Photo Identity Card) को आधार नम्बर से लिंक कराए जाने संबंधी अभियान में सक्रिय सहभागिता बावत्।

सन्दर्भ:-उ.शि.वि. के पत्र क्र.1285/846197/2022 38-2 दिनांक 14.09.2022.
प्रति,

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख, समस्त अध्ययनशालाएँ/संस्थान/देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/प्राचार्या/समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (प्रशासन)

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल


मगन्य (NSS)

क्रमांक 1285/846197/
2022/38-2

भोपाल, दिनांक: 14/09/2022

प्रति,

1. समस्त कुल सचिव
शासकीय विश्वविद्यालय
मध्यप्रदेश।
2. सचिव
निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य
शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।



~~श्री. ल. ल.~~

का. ल.

14.9.22

14.9.22

विषय :- मतदाता पहचान पत्र (Electors Photo Identity Card) को आधार नम्बर से लिंक कराए जाने संबंधी अभियान में सक्रिय सहभागिता वावत।

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश में मतदाता पहचान पत्र (Electors Photo Identity Card) को आधार नम्बर से लिंक कराए जाने संबंधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं अधिकारियों / कर्मचारियों के मतदाता पहचान पत्र (Electors Photo Identity Card) को उनके आधार नम्बर से लिंक कराए जाने, मतदाता पहचान पत्र बनाने तथा इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

1. महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी, जिनके मतदाता पहचान पत्र नहीं बने हैं ऐसे विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।
2. महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी, उसके परिवार के सदस्यों तथा पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों के मतदाता पहचान पत्रों को उनके आधार नम्बर से लिंक कराए जाने संबंधी अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों तथा व्हाट्सअप समूहों के माध्यम से कराया जाए।
3. अभियान की जानकारी एवं आवश्यक सहयोग हेतु महाविद्यालयों में एक हेल्पलाइन सेल का गठन किया जाए।

निरंतर...2....

4. वृथ लेवल अधिकारी तथा जिला कार्यालयों में इस कार्य में संलग्न अधिकारियों के साथ महाविद्यालयों में नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।
5. वोटर हेल्पलाइन एम्प एवं वेबसाईट www.nvsp.in की जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाए।
6. फार्म 6 बी की प्रतियां विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में सुलभ कराई जाए।
7. महाविद्यालयों में छात्र संख्या अनुसार कैम्पस एम्बेसेडर नामांकित किए जाए।
8. महाविद्यालयों में Electoral Literacy Clubs (ELCs) का गठन किया जाए। ELCs की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शिक्षक नोडल अधिकारी, कैम्पस एम्बेसेडर (छात्र-छात्रा), मेंटर शिक्षक (पुरुष-महिला) को नामांकित करते हुए निरंतर बैठकों के माध्यम से ससीक्षा की जाए।

मतदाता पहचान पत्र (Electors Photo Identity Card) को आधार नम्बर से लिंक कराए जाने संबंधी संचालित किए जा रहे अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध है।

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक: 14/09/2022

पृ.क्रमांक 1286/846197/
/2022/38-2
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश।
 3. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
 4. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग